भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 824
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 अवधि के दौरान स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के लिए मुआवजा

824. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने आशा कार्यकर्ताओं, अन्य स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या सरकार ने उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए मुआवजे का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो इन अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्हें देय मुआवजा अभी लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें बकाया राशि के भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का उन चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को *शहीद' का दर्जा देने का विचार है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्ट किए गए कोविड-19 के कुल मामलों और मौतों का डेटा रखा जाता है। दिनांक 03.02.2025 तक, देश में कोविड-19 के कारण कुल 5,33,662 मौतें (आशा कार्यकर्ताओं, अन्य स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की मौतों सहित) हुई हैं। कोविड-19 के कारण

हुई मौतों की पेशे-वार या अन्यथा अलग से संख्या केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। कोविड-19 से हुई मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति संलग्न है।

(ख) से (ङ): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी): कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना दिनांक 30.03.2020 से 15.10.2022 तक लागू की गई, जिससे कुल 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना/जीवन बीमा कवर के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जा सके। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं, जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में थे और जिनके इससे प्रभावित होने का खतरा था।

दावा निपटान प्रक्रिया के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विधिवत सत्यापित दावा दस्तावेज प्राप्त होने पर मृतक के लाभार्थी को भुगतान जारी किया जाता है। इस योजना के तहत, कुल 2545 दावों (प्रत्येक 50 लाख रुपये) का भुगतान लाभार्थियों को किया गया है।

(च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्रोत: कोविड-19 डैशबोर्ड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (https://covid 19 Dashboard.mohfw.gov.in)

अनुलग्नक

दिनांक 07.02.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 824 के पैरा (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

3 फरवरी, 2025 तक कोविड-19 से हुई मौतों की राज्यवार स्थिति		
क्र.सं.	**राज्य**	**मौतें**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	129
2	आंध्र प्रदेश	14733
3	अरुणाचल प्रदेश	296
4	असम	8038
5	बिहार	12315
6	चंडीगढ़	1186
7	छत्तीसगढ़	14205
8	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	4
9	दिल्ली	26701
10	गोवा	4014
11	गुजरात	11101
12	हरियाणा	10787
13	हिमाचल प्रदेश	4247
14	जम्मू और कश्मीर	4793
15	झारखंड	5337
16	कर्नाटक	40411
17	केरल	72137
18	लद्दाख	231
19	लक्षद्वीप	52

20	मध्य प्रदेश	10787
21	महाराष्ट्र	148602
22	मणिपुर	2149
23	मेघालय	1628
24	मिजोरम	734
25	नगालैंड	782
26	ओडिशा	9215
27	पुदुचेरी	1982
28	पंजाब	20600
29	राजस्थान	9746
30	सिक्किम	501
31	तमिलनाडु	38086
32	तेलंगाना	4111
33	त्रिपुरा	943
34	उत्तराखंड	7778
35	उत्तर प्रदेश	23743
36	पश्चिम बंगाल	21558
कुल		**533662**

******